UPPG010047252026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1942/2026

अरमान उम्र 29 साल सुत साबित अली, निवासी ग्राम हरिहरपुर, कैलहा, थाना लीलापुर, जिला प्रतापगढ़।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु०अ०सं०–238/2025,
धारा–191(2), 324(4), 115(2),
352, 351(3) 326(जी)बीएनएस,
थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक 27.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **अरमान** ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–238/2025, धारा–191(2), 324(4), 115(2), 352, 351(3), 326(जी) बीएनएस, थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी अपने घर पर हरिहरपुर कैलहा में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। घटना आज दिनांक लगभग 3:45 शाम की हैं। प्रार्थिनी के घर पर मेरे ही परिवार के अरमान, दिलशाद सुतगण साबित अली व माजिद पत्नी साबित अली, व कैकसा पत्नी दिलशाद तथा गांव के ही शिवपति पत्नी रामपियारे, बबीता पत्नी दिनेश व दो अज्ञात एक राय होकर हाथ में लाठी गहदाला लेकर आयें और जबरदस्ती मेरे घर का गेट गहदाला डालकर तोड़ने लगे, मेरे मना करने पर मेरे चैनल में लाठी डालकर धकेल दिया, मेरे हल्ला मचाने पर उक्त लोग मेरे घर के पीछे जाकर खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर मेरे घर में आग लगा दी जिससे कीमती सामान जलकर राख हो गया। दिलशाद व अरमान ने मुझे पड़कर आग में झोंक कर मार डालना चाहा। मेरे लड़के द्वारा बीच बचाव करने पर बच गई। उक्त लोग जान से मार डालने की धमकी देकर गाली देकर मारते पीटते रहे, जिससे चोंटे आई हुई हैं। दिनांक 13.09.2025 को दोपहर में कैकसा, अरमान व दिलशाद गहदाला से मेरा गेट तोड़ रहे थे, जिसकी लिखित तहरीर थाने में दी गई थी, परंतु कुछ नहीं हुआ। सभी घटना सीसीटीवी में मौजूद है। 112 नं. व थाने की पुलिस आई उसके बाद डमकल के आने के बाद आग बुझाई गई। उक्त लोग सरहंग हैं, प्रार्थिनी व उसके बच्चों को मार डालना चाहते हैं। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में सहअभियुक्त दिलशाद उर्फ सोनू की नियमित जमानत दिनांक 04.12.25 को न्यायालय

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.27 15:01:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रतापगढ़ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी असत्य कथनों के आधार पर हैरान व परेशान करने के लिए झूठा फंसाया गया हैं। प्रार्थी बेगुनाह है प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथाकथित घटना के 7 घण्टे बाद विलम्ब से लिखायी गयी है। विलम्ब का कोई तार्किक उत्तर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। अभियोजन पक्ष का कथन नितान्त असत्य, अतार्किक एवं असम्भाव्य है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी के पट्टीदार चचेरे भाई मो० रहीस की पत्नी है। वादिनी मुकदमा का विवाद अपने पति मो० रहीस से चल रहा है। वादिनी मुकदमा घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली गयी थी और भरण पोषण का मुकदमा व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा अपने पति के विरूद्ध दायर किया है जिसमें बिना किसी कारण के वादिनी मुकदमा का अपने पति के साथ रहने से इन्कार करने के कारण न्यायालय द्वारा भरण पोषण देने से इन्कार कर दिया गया जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। उसी मंसूबे के तहत वादिनी मुकदमा अपने बच्चों को लेकर आयी और अपने पति रहीस के घर न जाकर प्रार्थी के घर में जबरन घुसकर कब्जा कर लिया और प्रार्थी की मॉ के साथ मारपीट की। तथाकथित घटना पूरी तरह बनावटी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी गुकदमा को आहत आख्या में पाँच चोटें आना दर्शित है जो कठोर कुंदालय से आना उल्लिखित है सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। थाना लीलापुर की पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार अपमानित करने के उद्देश्य से एवं समाज में उसकी छवि धूमिल करने के उददेश्य से तलाश रही है। जिस कारण यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी अच्छे खानदान से सम्बन्ध रखता हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में चल व अचल सम्पत्ति है। जिससे प्रार्थी के पलायन करने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० सत्र न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ में न तो प्रस्तुत है न निरस्त है न ही विचाराधीन है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है और अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी तथा उसके बच्चो को मारपीट कर उसके घर में आग लगा दी और घर का कीमती सामान जलाकर नष्ट कर देने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया** इससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी तथा उसके बच्चो को मारपीट कर उसके घर में आग लगाने और घर का कीमती सामान जलाकर नष्ट कर देने का आरोप है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी हैः–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अरमान** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–238/2025, धारा–191(2), 324(4), 115(2), 352, 351(3),326(जी) बीएनएस, थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–27.07.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल–।